

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1513 / 2013

संस्थापित दिनांक 11.12.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र रामचरण शर्मा उम.50
साल निवासी ग्राम बडागर थाना गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 11/7/2013 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 324, 325 तथा 506 बी-2 के अपराध के आरोप हैं कि दिनांक 10/11/2013 के 9.00 बजे कुआ के पास ग्राम बडागर में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी जितेन्द्र शर्मा को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व उपस्थित जनसमूह को क्षोभ कारित किया व आहत रामसुमिनी की लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं फरियादी जितेन्द्र शर्मा को दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की व फरियादी जितेन्द्र की मारपीट कर अस्थि भंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभिप्रास कारित किया ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि विचारण के दौरान फरियादी व आहत का आरोपी से आपसी राजीनामा हो गया है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 10/11/13 के 10:10 बजे फरियादी ने पुलिस थाना गोहद में उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि वह ग्राम बडागर का रहने वाला है दिनांक 10/11/13 के सुबह 9:00 बजे बात है उसने अपने घर के पास कुँआ के पास सूखी लकड़ी को काट रहा था उसी समय उसके

चाचा रामजीलाल शर्मा आये ओर उसे मादरचोद बहन चोद की बुरी-बुरी गालियाँ दी मना करने पर रामजीलाल ने एक लाठी दाहिने हाथ की अंगूठे व एक लाठी बाये हाथ की अंगुली में मारी मूदी चोट आई तभी उसकी माँ रामसुमनी उसे बचाने लगी तो माँ की भी लाठियों से रामजीलाल ने मारपीट की जिसेस माँ के नाक में चोट होकर खून बहने लगा व दाहिने हाथ की कलाई व पीठ में मूदी चोट आई तब उसके भाई लोकेन्द्र शर्मा ने बीच बचाव किया फिर रामजीलाल धमकी देते चले गये ।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क्र0 215/13 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं फरियादी व आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 324, 325 तथा 506 बी-2 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।

6. प्रकरण में फरियादी व आहतों द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जाकर आरोपी को भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 325 तथा 506 भाग-2 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया गया जबकि शेष धारा 324 शमन योग्य न होने के कारण विचारण यथावत जारी रहा है ।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपी ने फरियादी जितेन्द्र शर्मा को दांतों से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की?

सकारण निष्कर्ष

8. जितेन्द्र शर्मा आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है इस साक्षी का कहना हैकि 10/11/13 के सुबह 9:00 बजे अपने कुआ के पास लकड़ी काट रहा था उसी समय उसके चाचा रामजीलाल से थोड़ा बहुत मुहवाद हो गया था और हाथापाई हो गई थी जिसकी रिपोर्ट उसने थाना गोहद पर की थी जो प्र0पी01 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने नक्शा मौका तैयार किया जो प्र0पी02 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी के द्वारा किसी धारादार अथवा घातक हथियार से चोटपहुचाये जोन का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि उसे आरोपी रामजीलाल ने छुंगली उगली में दांत से काट लिया था । साक्षी के कथनो से दांत से काटे जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है ।

9. रामसुमिनी आ0सा02 यह साक्षी घटनाकी चक्षुदर्शी साक्षी है इसका कहना है कि 7,8 माह पहले आरोपी रामजीलाल व जितेन्द्र से झगडा हो गया था जिसमें उसने बीच बचाव किया था शेष घटनाक्रम से साक्षी ने अनभिज्ञता जाहिर किये जाने पर साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने दांत से काटकर उपहति किये जाने की घटना का समर्थन नहीं किया है साक्षी के कथनों से अभियोजन घटनाक्रम का समर्थन नहीं होता है।

10. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है जिससे विदित होता है कि फरियादी/आहत ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है जिससे यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी को दांतो से काटकर स्वेच्छा उपहति कारित की हो।

11. अभियोजन मामले के अनुसार मेडीकल रिपोर्ट का अवलोकन करे तो इससे दर्शित होता है कि आहत जितेन्द्रशर्मा को दांत से काटकर से चोट पहुंचाकर उपहति कारित की है लेकिन फरियादी /आहत ने न्यायालीन अभिलेख पर दिये कथनों में इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने उसे दांतो से काटकर से चोट पहुंचाई हो ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 324 के अपराध का समर्थन नहीं होता है।

12. प्रकरण में आरोपी के आरोपित आरोप भा.द.वि.की धारा 324 पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपी को भा.द.वि.की धारा 324 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है उसके जमानत मुचलके भारहीन होने से उनमोचित किये जाते है।

13. प्रकरण मे निराकरण हेतु मुददेमाल नही है।

14. प्रकरण मे धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

15. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालयमे हस्ताक्षरितव

दिनांकित कर घोषित किया गया

हस्ता/सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता/सही

जे0एम0एफ0सी0गोहद

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1513 / 2013